



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102022-239861
CG-DL-E-25102022-239861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4794]
No. 4794]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2022/कार्तिक 3, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2022/KARTIKA 3, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5011(अ).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1988 का 46) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति या सदस्य को नामनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 27 फरवरी, 1971 जो संख्यांक सा.का.नि. 301 (अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (xix) (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“1. डॉ. प्रवीण कुमार सिंह

कृषि आयुक्त,

कृषि और किसान कल्याण विभाग,

नई दिल्ली।”

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-I भाग(1)]

डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना. सा.का.नि. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्या का.आ. 4142 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2022

S.O. 5011(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominate following person or member to the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for this purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification,

for serial number (xix) (c) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xix) (c) Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture
Commissioner, Department of Agriculture & Farmers
Welfare, New Delhi.”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I Part(1)]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 4142 (E), dated the 31st August, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5012(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना का.आ. 79 (अ) तारीख 04 फरवरी 1997 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 4 फरवरी 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“1. डॉ. प्रवीण कुमार सिंह
कृषि आयुक्त,
कृषि और किसान कल्याण विभाग,
नई दिल्ली।

“अध्यक्ष” इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।”

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-I भाग(1)]

डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (iii) में का.आ. 79 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्या का.आ. 3135 (अ) तारीख 8 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2022

S.O. 5012(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“1. Dr. Praveen Kumar Singh
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Farmers Welfare,
New Delhi.

“Chairman” for a period of three years or
until further orders whichever is earlier
from the date of publication of this
notification.”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I Part(1)]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 3135 (E), dated the 8th July, 2022.